पत्रांक :– परि0/भवन–07/2012–3525

बिहार सरकार

निगरानी विभाग,

सूचना भवन, पटना–1

प्रेषक,

नवीन कुमार
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी। पटना, दिनांक 11.06.2012

विषय : समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नियमानुसार कराने के विषय में।

महाशय,

निविदा के उचित प्रसारण एवं निविदाकर्त्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा लाने हेतु निविदा का प्रकाशन समाचार–पत्रों में नियमानुसार होना आवश्यक है। इस संदर्भ में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 के भाग–2 के अधीन निम्नांकित निर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

(क) कंडिका–3 में निर्देश है कि जिला गजट एवं समाचार पत्रों को स्पष्ट रूप से लिखा जायगा कि किस तिथि तक वे विज्ञप्ति निकालें और उसके बाद न छापें। उक्त तिथि निविदा / कोटेशन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व होनी चाहिये, परन्तु आवश्यकतानुसार इस अवधि को बढ़ाया जा सकता हे। दूसरी ओर, लोक निर्माण विभागीय संहिता की कंडिका–159 में अंकित है कि निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बीच आकस्मिक परिस्थिति में भी 10 दिन से कम अन्तर नहीं होना चाहिये, किंतु इस अवधि को अधीक्षण अभियंता की पूर्वानुमति से कम किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि निविदा विज्ञप्ति के प्रकाशन एवं निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बीच में कम–से–कम 10 दिन (अथवा यदि पूर्वानुमति प्राप्त कर इस अवधि को कमतर किया गया तो उक्त कमतर अवधि) का अंतर रखा जाना है। अतः जब गजट/समाचार पत्रों को निविदा प्रकाशन के लिये भेजा जाय तो निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये और यह तिथि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से कम–से–कम 10 दिन (अथवा यदि पूर्वानुमति प्राप्त कर इस अवधि को कमतर किया गया तो उतने दिन) पूर्व होना चाहिये।

साथ ही, यह भी स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिये कि प्रकाशन की निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में निविदा का प्रकाशन नहीं किया जाय।

(ख) कंडिका–4 में निर्देश है कि यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्ति की तिथि को बढ़ाना पड़े, जिसमें एक कारण निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित तिथि तक नहीं होना भी हो सकता है, तो इसकी भी सूचना उस समाचार पत्र में प्रकाशित की जाय जिसमें मूल निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हो अथवा होने वाली हो। इस सूचना प्रकाशन के लिये भी उप–कंडिका–(क) के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जाय।

(ग) कंडिका–5 में निर्देश है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उपर्युक्त कंडिका–3 एवं 4 को ध्यान में रखकर विज्ञप्ति प्रकाशित करवायेंगे। यदि कंडिका–3 के आलोक में निर्धारित तिथि तक विज्ञापन छपने की संभावना नहीं हो तो उसकी सूचना, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग विज्ञापनकर्त्ता को तुरंत भेजेंगे ताकि निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पहले उन्हें यह सूचना प्राप्त हो जाय और वैसी स्थिति में विज्ञापनकर्त्ता निर्धारित तिथि को निविदा नहीं खोलेंगे और निविदा तिथि को बढ़ाने हेतु विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रकाशनार्थ भेजेंगे।

देखा गया है कि अनेक मामलों में विज्ञापन प्रकाशन संबंधी उपर्युक्त निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण है कि निविदा जारी करने वाले कार्यालयों द्वारा विज्ञप्ति समयनुसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नहीं भेजी जाती। निविदा विज्ञप्ति का समुचित रूप से प्रकाशन सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित निर्देशों का भी अनुपालन किया जाए :

(क) निविदा जारी करने वाला कार्यालय निविदा विज्ञप्ति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को निविदा प्रकाशन के लिए निर्धारित तिथि से कम–से–कम पाँच दिन पूर्व प्राप्त करा दें।

(ख) यदि निर्धारित तिथि पर विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं होने की सम्भावना सम्बंधी सूचना, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से प्राप्त होती है तो निविदा जारी करने वाले कार्यालय द्वारा तुरंत निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने हेतु विज्ञप्ति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भेजा जाना चाहिये और ध्यान रखा जाना चाहिये कि ये अनुरोध सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से कम–से–कम पाँच दिन पूर्व प्राप्त हो जाए।

आप सभी से अनुरोध है कि भविष्य में निविदा के प्रकाशन हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव।